अंतिम डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत **सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय** जयपुर
इजलास **डॉ लक्ष्मीनारायण बुनकर, आर.ए.एस**

वाद संख्या : 48/2021 **निर्णय दिनांक : 30.05.2025**

प्रताप यूनिवर्सिटी जरिये को–ट्रस्टी सुरभि भदोरिया पत्नी शैलेन्द्र भदोरिया जाति राजपूत निवासी मकान नं 8 कॉलोनी पश्चिम मार्ग, थर्ड फलोर, वसन्त विहार ऐरिया, नई दिल्ली।

–वादी

बनाम

1. कमला पत्नि गणपत जाति गुर्जर
   निवासी ग्राम सुन्दरपुरा पटवार हल्का बीलपुर तहसील आमर जिला जयपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आमेर तहसील आमेर जिला जयपुर।

–प्रतिवादीगण

वाद बाबत विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय

वादी द्वारा प्रस्तुत कुरेजात रिपोर्ट पर सहमति व्यक्त की गई है तथा अवलोकन अनुसार प्रस्तुत कुरेजात रिपोर्ट विधिवत व उपयुक्त भी प्रदर्शित होती है। जिसके संदर्भ में प्रतिवादी की ओर से विधिक आपत्ति प्रस्तुत नहीं कर औपचारिक मात्र प्रस्तुत की गई है। जबकि तहसीलदार आमेर द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावित नक्शा अनुसार मात्र ही प्रार्थी प्रतिवादी का पृथक खाता व नक्शा कायम किया जाना संभव है तथा प्रार्थी प्रतिवादी की भूमि का अस्तित्व सुरक्षित प्रतीत है। जिसके इतरअन्य रूप में प्रार्थी प्रतिवादी का हिस्सा प्रस्तावित किए जाने से प्रतिवादी के लिए भूमि महत्वहीन व अस्तित्वहीन होना प्रदर्शित होता है। जिसकी पृथक नक्शे अनुसार तरमीम भी असंभव है तथा मौके व रिकॉर्ड पर क्रियान्विती भी संभव व अपेक्षित नहीं है। अतः तथ्यों के दृष्टिगत वाके ग्राम सुन्दरपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर में स्थित खसरा नंबर 550 रकबा 0.4500 हैक्टेयर के संदर्भ में प्रस्तुत कुरेजात रिपोर्ट अनुसार वाद वादी निम्न प्रकार अंतिम डिक्री किया जाता है:–

वर्तमान जमाबन्दी प्रविष्टि

क्र. संख्या	खातेदार का नाम	खसरा नंबर	रकबा	किस्म	लगान
1 2	कमला पत्नी गणपत हि. 1/36 जाति गुर्जर सा.देह प्रताप यूनिवर्सिटी जरिये सचिव सुरभि भदौरिया पत्नी शैलेन्द्र भदौरिया हि. 35/36 जाति राजपूत निवासी मकान नं 8 कॉलोनी पश्चिम मार्ग, थर्ड फलोर, वसन्त विहार ऐरिया, नई दिल्ली जिला साउथ वेस्ट दिल्ली खातेदार।	550	0.4500	बारानी 2	1.80

कुरेजात रिपोर्ट अनुसार प्रस्तावित प्रविष्टि

क्रम संख्या	खातेदार का नाम	खसरा नंबर	रकबा	किस्म	लगान
1	कमला पत्नी गणपत हि. संपूर्ण जाति गुर्जर सा.देह	[illegible]	[illegible]125	बारानी 2	0.05
	[illegible]	[illegible]	[illegible]125		
2	प्रताप यूनिवर्सिटी जरिये [illegible] भदौरिया पत्नी शैलेन्द्र [illegible] संपूर्ण जाति राजपूत निवा[illegible] कॉलोनी पश्चिम मार्ग, थर्ड फलोर, वसन्त विहार ऐरिया, नई दिल्ली जिला साउथ वेस्ट दिल्ली खातेदार।	[illegible]	0.0160 [illegible]	गै.मु.रास्ता बारानी	[illegible]
	कुल किता	2	0.4375		

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Laxmi Narayan Bunker
Date: 2025.08.20 13:15:29 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर

Scanned with CamScanner

प्रताप यूनिवर्सिटी बनाम कमला व अन्य
वाद सं:– 48/2021
निर्णय दिनांक:– 30.05.2025

उपरोक्त विवादग्रस्त आराजी का विभाजन मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट किया जाकर अलग–अलग खाता व लगान कायम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार आमेर को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे।

खर्चा इस मुकदमे के मय शूद बशरह..................फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....का अदा करें।

आज बसबत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 30.05.2025 को जारी की गई।

मुहर

दस्तखत सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
ओहदा मुख्यालय-जयपुर

मुदई	रुपये	पैसे	मुदायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

नोट : इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दी फरीकेत का चाहे डिक्री के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dr. Laxmi Narayan Bunker
Date: 2025.08.20 13:15:29 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner